Bill No. 10 of 2011

THE RAJASTHAN LAND REVENUE (AMENDMENT) BILL, 2011

(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Land Revenue Act, 1956.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-second Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.–(1) This Act may be called the Rajasthan Land Revenue (Amendment) Act, 2011.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment in section 4, Rajasthan Act No. 15 of 1956.–In sub-section (2) of section 4 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No. 15 of 1956), for the existing word "fifteen", the word "twenty" shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Board of Revenue, established in the year 1949, is the highest court of appeal regarding revenue matters. It plays a vital role in the disposal of revenue cases and in the superintendence and control over the revenue courts subordinate to it.

Keeping in view the increase in the number of cases, the strength of the members of the Board of Revenue has been increased from time to time by the State Government, according to the requirements. The maximum strength of the members was fixed at ten by the Rajasthan Land Revenue (Amendment) Act 1976.

Subsequently, keeping in view the mounting increase in revenue cases by the year 1985, the maximum strength of the members was increased from 10 to 15 by the Rajasthan Land Revenue (Amendment) Ordinance, 1986, which was replaced by the Rajasthan Land Revenue (Amendment) Act, 1986. The same strength of members continues till date. The number of cases was around 15,434 at that time.

Presently, the number of cases pending in the Board is around 54,019 which is almost four times the cases pending in 1986.

Therefore, in order to have a smooth functioning of the revenue and judicial process and to facilitate speedy justice to the poor farmers, it is proposed to increase the strength of the members from 15 to a maximum of 20.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

हेमाराम चौधरी
Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN LAND REVENUE ACT, 1956

(Act No. 15 of 1956)

XX XX XX XX

4. **Establishment and composition of the Board**.-(1) XX XX XX XX

(2) The Board shall consist of a Chairman, and not less than three and not more than fifteen other members.

(3) to (5) XX XX XX XX

XX XX XX XX

(अधिकृत हिन्दी अनुवाद)

2011 का विधेयक सं. 10

राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2011

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया जायेगा)

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-इस अधिनियम का नाम राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) अधिनियम, 2011 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 1956 के राजस्थान अधिनियम सं. 15 की धारा 4 का संशोधन.- राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) की धारा 4 की उप-धारा (2) में, विद्यमान शब्द "पन्द्रह" के स्थान पर शब्द "बीस" प्रतिस्थापित किया जायेगा।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राजस्व बोर्ड, राजस्व मामलों के संबंध में, वर्ष 1949 में स्थापित उच्च्तम अपील न्यायालय है। राजस्व मुकदमों को निपटाने में और अपने अधीनस्थ न्यायालयों का अधीक्षण और नियंत्रण करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है।

मुकदमों की संख्या में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार द्वारा, राजस्व बोर्ड के सदस्यों की संख्या आवश्यकता के अनुसार, समय-समय पर बढ़ायी गयी थी। राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) अधिनियम, 1967 द्वारा इन सदस्यों की अधिकतम संख्या दस नियत की गयी थी।

तत्पश्चात्, वर्ष 1985 तक राजस्व संबंधी मुकदमों में अत्यधिक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) अध्यादेश, 1986, जो राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) अधिनियम, 1986 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, के द्वारा सदस्यों की अधिकतम संख्या 10 से बढ़ाकर 15 की गयी थी। सदस्यों की यही संख्या आज तक विद्यमान है। उस समय मुकदमों की संख्या लगभग 15,434 थी।

वर्तमान में, बोर्ड में लंबित मुकदमों की संख्या लगभग 54,019 है जो 1986 में लंबित मुकदमों की लगभग चार गुना है।

इसलिए, राजस्व और न्यायिक प्रक्रिया के निर्बाध कार्यकरण और गरीब किसानों के लिए त्वरित न्याय सुकर बनाने हेतु सदस्यों की संख्या को 15 से अधिकतम 20 तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अत:विधेयक प्रस्तुत है।

हेमाराम चौधरी,

प्रभारी मंत्री।

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1955 (1956 का अधिनियम सं. 15) से लिये गये उद्धरण

** ** ** **

4. बोर्ड की स्थापना और संरचना.- (1) ** **

(2) बोर्ड में एक अध्यक्ष और कम से कम तीन और अधिक से अधिक पन्द्रह अन्य सदस्य होंगे।

(3) से (5) ** ** **

** ** ** **

Bill No. 10 of 2011

THE RAJASTHAN LAND REVENUE (AMENDMENT) BILL, 2011

(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Rajasthan Revenue Act, 1956.

(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

H. R. KURI,
Secretary.

(HEMA RAM CHAUDHARY, **Minister-Incharge**)

2011 का विधेयक सं. 10

राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2011

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 को और संशोधित करने के लिये विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया जायेगा)

एच. आर. कुड़ी,
सचिव।

(हेमाराम चौधरी, **प्रभारी मंत्री)**